1. परिचय

भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का प्रौद्योगिकी-सम्मिश्रण और/अथवा उन्नयन, उनका आधुनिकीकरण एवं उनके निर्यात का संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आई सी) स्कीम के अंतर्गत सहायता करना प्रमुख उद्देश्य हैं। इस स्कीम में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल होंगीः

(i) प्रौद्योगिकी-सम्मिश्रण/उन्नयन,संयुक्त उद्यमों के नए क्षेत्रों का पता लगाने, एमएसएमई उत्पादों के बाजार सुधार, आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों,सम्मेलनों/शिखर सम्मेलनों/कार्यशालाओं आदि में अन्य देशों में एमएसएमई व्यापार-प्रतिनिधिमंडलों का दौरा।

(ii) विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों एवं क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की भागीदारी।

(iii) उद्योग संघों/सरकारी संगठनों द्वारा भारत में आयोजित किए जाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र से संबंथित अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों/ शिखर सम्मेलनों/कार्यशालाओं /संगोष्ठियों का आयोजन।

(iv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थ संगठनों द्वारा भारत में बाहय देशों के साथ मेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी या मेला तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों /संगोष्ठियों//कार्यशालाओं, संयुक्त समिति की बैठकों/संयुक्त कार्य समूह की बैठकों/सरकार से सरकार स्तर पर द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन।

(v) विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी/ मेलों /सम्मेलन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल को भेजना।

2. पात्र संगठन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों के अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत कार्यक्रम निम्नलिखित द्वारा भी आयोजित किए जा सकते हैं:

(क) राज्य/केंद्र सरकार के संगठन;
(ख) पंजीकृत उद्योग/उद्यम संघ; और
(ग) एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास से जुड़ी हुई समितियां/न्यास एवं संगठन।

3. पात्रता शर्तें

स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता मांगने हेतु पात्रता शर्तें निम्नानुसार हैं:

(क) आवेदक संगठन को एमएसएमई के संवर्धन और विकास के मुख्य उद्देश्य से संगत अधिनियम (अर्थात् कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनियाँ, समिति अधिनियम के अधीन समितियां, आदि) उचित रूप से पंजीकृत होना चाहिए।

(ख) आवेदक संगठन को एमएसएमई के विकास से संबंधित गतिविधियों में कम से कम पिछले तीन वर्षों से लगा होना चाहिए एवं उनका अच्छा ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

(ग) आवेदक संगठन के पास पिछले तीन वर्षों के नियमित लेखापरीक्षित लेखे होने चाहिए।

(घ) स्कीम के अंतर्गत जिस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता माँगी गई है, उसका सार्थक अंतर्राष्ट्रीय महत्व होना चाहिए।

4. अन्य शर्तें

(क) एक संगठन को दी जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्यतया एक वित्तीय वर्ष में दो कार्यक्रमों तक सीमित होगी। तथापि, छानबीन समिति रिकार्ड किए जाने वाले कारणों हेतु इस शर्त में छूट की सिफारिश कर सकती है।

(ख) सहायता की प्रमात्रा आयोजक के अंशदान के लिए केवल अनुपूरक प्रकृति की होगी।

(ग) भाग लेने वाली इकाइयों का चयन आवेदक संगठन की अकेली जिम्मेवारी होगी। उद्यमियों/भागीदारों का चयन करते समय आवेदक संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चयन ट्रैक रिकार्ड, वृद्धि संभावना, निर्यात संभावना, आदि को ध्यान में रखकर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किया जाता है।

(घ) ऐसे कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व को और अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाने के लिए निम्नलिखित दिशानिदेशों का पालन किया जाना चाहिएः

(i) ऐसे कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक/महिला उद्यमियों का उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा बशर्तें कि बेहतर उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा।

(ii) भागीदार इकाइयों के उद्यमियों और प्रतिनिधि (यों) का चयन करते समय उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में पहले सरकारी अनुदान से भाग नहीं लिया है।

5. स्कीम के अंतर्गत सहायता

5.1 कार्यक्रम का बजट अनुमान

आवेदक संगठन व्यय का पूर्ण विवरण देते हुए प्रोफार्मा में (अनुबंध I से V) संगत कागजात और प्रस्तावित कार्यक्रम के व्यय का बजट अनुमान के साथ-साथ सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। स्वीकार्य वित्तीय सहायता इस बजट अनुमान के आधार पर एवं पैरा 5.2 में वर्णित मानदंडों/पैमानों के अनुसार तथा आगे छानबीन समिति के विवेक पर तैयार की जाएगी।

5.2 <u>सहायता का पैमाना एवं व्यय की पात्र मदें</u>

व्यय की मदें जिनके लिए इस स्कीम के अधीन सहायता पर विचार किया जा सकता है निम्नानुसार उल्लेख किया जाता हैः

5.2.1 **प्रौद्योगिकी समिश्रण /उन्नयन, संयुक्त उद्यमों के नए क्षेत्रों का पता लगाने, एमएसएमई उत्पादों के बाजार को सुधारने आदि के लिए विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, सम्मेलनों/ शिखर सम्मेलनों/कार्यशालाओं, आदि में एमएसएमई प्रतिनिधिमंडलों का दौरा किसी प्रतिनिधिमंडल में एमएसएमई इकाइयों की न्यूनतम संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। य़दि आवश्यक हुआ तो प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ यात्रा के लिए भाग लेने वाले उद्योग संघ/संगठन/ समिति/न्यास के एक पदधारी पर विचार किया जा सकता है।**

एमएसएमई प्रतिनिधिमंडलों के दौरे के लिए पात्र मदें एवं सहायता का पैमाना इस प्रकार होगाः

क्र. सं.	व्यय की पात्र मदें	सहायता का पैमाना
क.	हवाई **किराया**	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए: इकोनोमी क्लास **के** हवाई **किराये** का 100 प्रतिशत जो अधिकतम **1.00** लाख रूपये या **भुगतान किया गया** वास्तविक **किराया**, जो भी कम **हो**, **के अधीन (एक एमएसएमई इकाई के लिए) है।** आवेदक संगठन के पदधारी के लिए: इकोनोमी क्लास **के** हवाई **किराए** का 100 प्रतिशत जो अधिकतम **1.00** लाख रूपये या **भुगतान किया गया वास्तविक किराया** जो भी कम हो, **के अधीन है।**
ख.	ड्यूटी भत्ता	**पदधारी को ड्यूटी भत्ते के लिए कार्यक्रम की अनुमोदित अधिकतम 3 दिनों की अवधि के लिए प्रतिदिन 150 अमरीकी डॉलर मिलेंगे।**
ग.	सरकारी अधिकारी के लिए हवाई किराया, होटल आवास, स्थानीय परिवहन तथा दैनिक भत्ता	**सरकारी अधिकारी के लिएः** यदि कोई सरकारी अधिकारी प्रतिनिधिमंडल में भाग लेते हैं तो उनका व्यय (हवाई किराया, होटल आवास, स्थानीय परिवहन तथा दैनिक भत्ता **आदि**) उनकी पात्रता के अनुसार **मंत्रालय से प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह राशि उद्योग संघों/संगठनों को स्वीकृत राशि से अलग है।**

5.2.2 विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों **तथा** क्रेता-विक्रेता बैठकों में **एमएसएमई प्रतिनिधिमंडलों की** भागीदारी: **किसी प्रतिनिधिमंडल में एमएसएमई इकाइयों की न्यूनतम संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। य़दि आवश्यक हुआ तो प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ यात्रा के लिए भाग लेने वाले उद्योग संघ/संगठन/ समिति/न्यास के एक पदधारी पर विचार किया जा सकता है।**

एमएसएमई इकाइयों की ऐसी भागीदारी के लिए पात्र मदें तथा सहायता का पैमाना इस प्रकार होंगेः

क्र. सं.	व्यय **की** पात्र मदें	सहायता का पैमाना
क.	स्थान किराया (स्टॉल प्रभार)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिएः अधिकतम 1.**25** लाख रूपये के **अधीन** स्थान किराया **का** 100 प्रतिशत या **भुगतान किया** गया वास्तविक किराया जो भी कम हो (**एक एमएसएमई इकाई** के लिए) पदधारी स्थान किराये के लिए पात्र नहीं है।
ख.	हवाई **किराया**	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिएः अधिकतम 1.**00** लाख रूपये के **अधीन** इकोनोमी क्लास **के** हवाई **किराए** का 100 प्रतिशत या भुगतान किया गया वास्तविक किराया, जो भी कम हो (**एक एमएसएमई इकाई** के लिए) आवेदक संगठन के पदधारी के लिएः अधिकतम **1.00** लाख रूपये के **अधीन** इकोनोमी क्लास **के** हवाई **किराए** का 100 प्रतिशत या भुगतान किया गया वास्तविक **किराया** जो भी कम हो
ग.	ड्यूटी भत्ता	पदधारी ड्यूटी भत्ते के लिए **कार्यक्रम की अनुमोदित अधिकतम 3 दिनों की अवधि लिए** 150 अमरीकी डॉलर प्रतिदिन प्राप्त करेंगे।
घ.	**माल भाड़ा प्रभार**	**प्रति एमएसएमई इकाई अधिकतम 25,000/रुपये के अधीन वास्तविक (लैटिन अमरीकी देशों के लिए 37,500/- रूपये प्रति एमएसएमई इकाई)**
ड.	**विज्ञापन और प्रचार प्रभार**	**अधिकतम 5.00 लाख रुपये या वास्तविक, जो भी कम हो, बशर्ते कि न्यूनतम एमएसएमई इकाइयां 20 होनी चाहिएं।**
च.	**प्रवेश/पंजीकरण शुल्क**	**अधिकतम 5000/-रूपये प्रति एमएसएमई इकाई या वास्तविक जो भी कम हो।**
छ	**सरकारी अधिकारी के लिए हवाई किराया, होटल**	**सरकारी अधिकारी के लिएः यदि कोई सरकारी अधिकारी प्रतिनिधिमंडल में भाग लेता है तो उनके व्यय की (हवाई किराया, होटल आवास, स्थानीय**

	आवास, स्थानीय परिवहन दैनिक भत्ता, आदि।	परिवहन, दैनिक भत्ता, आदि) उनकी पात्रता के अनुसार मंत्रालय से प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह राशि उद्योग संघो/संगठनों को स्वीकृत राशि से अलग है।

5.2.3 उद्योग संघो/सरकारी संगठनों द्वारा भारत में आयोजित किए जाने वाले एमएसएमई से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/शिखर सम्मेलनों/कार्यशालाओं /संगोष्ठियों का आयोजन। सहायता की मात्रा निम्नलिखित होगीः

i	स्थान किराया, खानपान, विज्ञापन एवं प्रचार, सुरक्षा व्यवस्था आदि के लिए प्रभारों सहित उद्योग संघों द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/शिखर सम्मेलनों/कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों के आयोजन के लिए प्रभार।	अधिकतम 4.50 लाख रूपये या वास्तविक जो भी कम हो बशर्ते कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम किसी पांच सितारा होटल में आयोजित नहीं होना चाहिए।
ii	केवल विदेशी वक्ताओं/विशेषज्ञों/संसाधन व्यक्तियों के लिए हवाई किराया।	अधिकतम 2.50 लाख रुपये या वास्तविक, जो भी कम हो, न्यूनतम 3 विदेशी वक्ताओं/ विशेषज्ञों/संसाधन व्यक्तियों के लिए।

5.2.4 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थ संगठनों में से किसी द्वारा भारत में बाह्य देशों के साथ मेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी या मेला तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, संयुक्त समिति की बैठकों/संयुक्त कार्य समूह की बैठकों/सरकार से सरकार स्तर पर द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन।

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या इसके अधीनस्थ संगठनों में से किसी द्वारा आयोजित किए जाने वाले इन कार्यक्रमों के लिए कोई व्यय सीमा नहीं है। किए जाने वाले व्यय का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी अर्थात् आईएफडब्ल्यू के परामर्श से सचिव (एमएसएमई) द्वारा किया जाएगा।

5.2.5 <u>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/सम्मेलन में भेजना।</u>

स्कीम के लिए आबंटित बजट का 10 प्रतिशत एमएसएमई इकाइयों के उद्योग संघों/मालिकों के कार्यकारी सदस्यों तथा माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री सहित मंत्रालय के अधिकारियों वाले प्रतिनिधिमंडल को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों/सम्मेलन में

भेजने के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल का आकार 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। उद्योग संघों के सदस्यों/एमएसएमई इकाइयों के मालिकों को आने और जाने के हवाई किराये तथा तीन दिन की अधिकतम अवधि तक 150 अमरीकी डॉलर की दर से प्रतिदिन दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सचिव (एमएसएमई) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। समिति के अन्य सदस्य विकास आयुक्त (एमएसएमई), संयुक्त सचिव (एआरआई), संयुक्त सचिव (एसएमई) तथा निदेशक (आईसी) होंगे।

5.2.6 अंतर्राष्ट्रीय मेलों/विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेने वाली एमएसएमई इकाइयों के चयन के लिए "स्कोर कार्ड"

अंतर्राष्ट्रीय मेलों/विदेश में प्रदर्शनियों में जाने वाली/भाग लेने वाली एमएसएमई इकाइयों के चयन के लिए अनुबंध-III में दर्शाए गए अनुसार "स्कोर कार्ड" होगा। उद्योग संघ/संगठन आदि आवेदन पत्र के साथ-साथ उचित रूप से भरा हुआ स्कोर कार्ड प्रस्तुत करेंगे और इस आशय की सत्यता की स्व-घोषणा (सेल्फ अंडरटेकिंग) कि स्कोर कार्ड में दी गई सूचना सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। न्यूनतम अर्हक स्कोर/प्वाइंट्स स्कोर कार्ड का 60 प्रतिशत होना चाहिए। उन एमएसएमई इकाइयों जिनके नाम आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत सूची में उद्योग संघों/सरकारी संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, के संदर्भ में ही का दावा स्वीकार किया जाएगा।

6. <u>एमएसएमई इकाइयों का चयन</u>

(क) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के निर्धारित फार्मेट आवेदन पत्र एनएसआईसी (अपने शाखा कार्यालयों के माध्यम से), विकास आयुक्त, एमएसएमई कार्यालय (एमएसएमई विकास संस्थानों के माध्यम से), केवीआईसी, कयर बोर्ड एवं अलग एमएसएमई से निम्समे द्वारा जुटाए जाएंगे तथा वे निदेशक (आईसी), एमएसएमई मंत्रालय को छानबीन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

(ख) पंजीकृत उद्योग संघ/एमएसएमई क्षेत्र के विकास में लगे न्यास/समितियां भी निदेशक (आईसी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को छानबीन समिति के विचारार्थ निर्धारित फॉर्मेट में उनके आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ग) हर दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र मंत्रालय में पहले ही अर्थात् कार्यक्रम शुरू होने के दो माह पूर्व मिल जाने चाहिए।

(घ) यदि प्रतिनिधिमंडल 20 एमएसएमई इकाइयों से अधिक का है तो कार्यक्रम में पृथक् भारतीय पैविलियन का प्रबंध होना चाहिए।

(ङ) मंत्रालय प्रतिनिधिमंडल के साथ जाने के लिए अपने नामिति के रूप में मंत्रालय से या अपने संगठनों से अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकता है।

7. माटू, मास, एमपीडीए तथा सीवीवाई स्कीमों के प्रस्तावों के संबंध में प्रक्रिया

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एसएफसी नोट के अनुसार, माटु, मास, एमपीडीए तथा सीवीवाई स्कीमों के बजट में रखे गए अंतर्राष्ट्रीय घटक के प्रावधान को आईसी स्कीम में विलय किया गया है। माटू, मास, एमपीडीए तथा सीवीवाई स्कीमों के अंतर्राष्ट्रीय घटकों से संबंधित दिशानिदेश लागू नहीं रहेंगे और आगे भी लागू नहीं रहेंगे। उपर्युक्त स्कीम डील करने वाले सभी प्रभाग/कार्यालय आईसी स्कीम के दिशानिदेश का पूर्णतः अनुपालन करेंगे। नई प्रक्रिया के अनुसार, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, एनएसआईसी/कयर बोर्ड/केवीआईसी/एमएसएमई इकाइयों की लामबंदी करेंगे एवं छानबीन समिति के सैद्धांतिक अनुमोदन मांगने के लिए मंत्रालय के आईसी अनुभाग को आईसी स्कीम के दिशानिदेशों का निर्धारित फॉर्मेट में समेकित प्रस्ताव भेजेंगे। व्यय की मदों या सहायता का पैमाना का भी आईसी स्कीमों के दिशानिदेशों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा। प्रतिपूर्ति के दावे के बारे में संबंधित प्रभाग/कार्यालय जाँच करेंगे एवं अपनी संबंधित स्कीमों के बजट आबंटन से अपने स्तर पर एमएसएमई इकाइयों की प्रतिपूर्ति के दावे को निपटाएंगे।

8. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

विकास आयुक्त-एमएसएमई कार्यालय/एनएसआईसी/कयर बोर्ड/केवीआईसी सहित सभी आवेदक संगठन कार्यक्रमों की अनुमोदित सूची जो मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.msme.gov.in पर पहले से ही उपलब्ध है, से किसी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जाने/भाग लेने के लिए आवेदन करेंगे।

9. वित्तीय सहायता का पैमाना

विदेश में आयोजित होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए छानबीन समिति द्वारा सिफारिश की जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 50.00 लाख रुपये है। सीमा में छूट के लिए सचिव (एमएसएमई) सक्षम प्राधिकारी होंगे।

10. स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृति प्राधिकारी

सदस्य के रूप में निम्नलिखित सहित संयुक्त सचिव (एसएमई) की अध्यक्षता वाली छानबीन समिति प्रस्ताव अनुमोदित करेगीः

1.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के संयुक्त सचिव	-	अध्यक्ष
2.	विकास आयुक्त, (एमएसएमई) कार्यालय से एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
3.	एआरआई प्रभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से एक प्रतिनिधि	-	सदस्य

4.	एनएसआईसी से एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
5.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के आईएफडब्ल्यू से एक प्रतिनिधि	-	सदस्य
6.	निदेशक (आईसी/एसएमई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	-	सदस्य (समन्वयक)

11. अनुदान जारी करना

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, प्रोफार्मा (अनुबंध-VI-X) में प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने पर, स्कीम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति आधार पर अनुदान जारी किए जाएंगे। दावा मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित दस्तावेजों के साथ संलग्न होना चाहिए।

अनुबंध-I

आवेदन पत्र

(सभी स्तम्भ भरे जाने चाहिए)

1.	आवेदक संगठन का नाम
2.	पनि कोड, दूरभाष संख्या, फैक्स नं. और ई-मेल आईडी के साथ पूरा पता
3.	सम्पर्क करने वाले व्यक्ति का नाम, फोन न0, मो0 नं.
4.	पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण की तारीख और अधनियिम (कंपनी अधनियिम, समति अधनियिम, आदि) जसिके अंतर्गत संगठन पंजीकृत है।
5.	आवेदक संगठन के पंजीकृत सदस्यों की संख्या (सदस्यता)
6.	आवेदक संगठन के बारे में ब्योरा और यह एमएसएमई क्षेत्र के लिए क्या करता है। (लगभग 200 शब्दों में लिखें)
7.	प्रस्तावति कार्यक्रम का नाम, अवधि, तारीख और स्थान

8.	प्रस्तावति कार्यक्रम का संक्षेप में ववरिण और कार्यक्रम में भाग लेने का उद्देश्य (लगभग 200 शब्दों में लखिं)
9.	मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय स्कीम के अंतर्गत पछिले तीन वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के नाम जनिमें भाग लयि।
10.	संगठन के सदस्य एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत पूर्व कार्यक्रम में भागीदारी से क्या लाभ हुए, के बारे में संक्षेप में ब्योरा (200 शब्दों में लखिं)

संलग्न कए जाने वाले दस्तावेज:

(i) आवेदक संगठन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रत
(ii) संगम ज्ञापन /उपनयिम की प्रत
(iii) आवेदक संगठन के लेखा परीक्षति तुलन पत्र, लाभ और हान लेखा अथवा आय और व्यय के लेखा की वगित तीन वर्षों की प्रतयिां।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ क उपर्युक्त सूचना हर प्रकार से सत्य और सही है।

(प्राधकित हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर)

नाम:
पदनाम:
आवेदक संगठन की मुहर

दनिांक:
स्थान:

वदिश में अंतर्राष्ठ्रीय दौरे भागीदारों/प्रतनिधियिों की अनन्तमि सूची

केवल उन्हीं एमएसएमई इकाइयों का प्रतनिधिमिंडल में शामलि करने के लएि चयन कयिा जा सकता **हैं** जन्िहोने कार्यक्रम प्रोफाइल के साथ सुमेलति उत्पाद वनिर्िमाण उत्पाद सेवाएं दी हैं

क्र. सं.	भागीदार पदधारी एवं उद्यमयिों का नाम	एमएसएमई इकाई का नाम और पता	मो0 फोन नं0 और लैंडलाइन फोन नं0	उद्योग आधार नं0	क्या वनिर्िमाता या सेवा प्रदाता **हैं** ?	वनिर्िमाण कएि जा रहे उत्पादों/ प्रदान की गई सेवा**ओं** के नाम
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

प्रमाणति कयिा जाता है कि उपर्युक्त इकाइयां पंजीकृत हैं और साथ मेंउद्योग आधार पंजीकरण प्रमाण पत्र है।

प्राधकि्ृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर---------------

नाम-----------------------------

पदनाम------------------------------

आवेदक संगठन की मुहर-----------

दनिांक....................

स्थान..................

अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी/ मेले में भागीदारी के लिए एमएसएमई के चयन हेतु स्कोर कार्ड (कुल स्कोर-65 बिन्दु)

एमएसएमई ईकाई का नाम एवं यूएएन संख्या______________________

क्र.सं.	विषय	स्कोर पद्धति	बिन्दु आबंटन (एमएसएमई ईकाई या आवेदक संगठन द्वारा भरा जाना)
1.	पिछले 5 वित्तिय वर्षों के दौरान व्यापार मेले में एक ईकाई की भागीदारी की आकृति	पहली बार भागीदारी - 10 दूसरी बार भागीदारी - 02 तृतीय बार प्रतिभागिता- 02	
2.	उद्यम के मालिक	अनु0 जाति/अनु0 जन जाति से संबंधित महिला -10 अनु0 जाति/अनु0 जन जाति -09 सामान्य - 08	
3.	ईकाई का स्थान	पूर्वोत्तर क्षेत्र -05 अन्य -04	
4.	ईकाई की दूरस्थ स्थिति	ग्रामीण क्षेत्र में स्थित -10 शहर में स्थित - 08 महानगर शहरों में स्थित - 06	
5.	विनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता	आईएसओ प्रमाणित -05 गैर-आईएसओ प्रमाणित -03	
6.	इनोवेटिव पेटेंटिड उत्पाद/ प्रौद्योगिकी	पेटेंटिड - 05 गैर-पेटेंटिड - 04	

7.	उद्यम की श्रेणी	सूक्ष्म -10 लघु -08	
8.	व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए ईकाई का उद्देश्य	बी2बी एंगेजमेंट/अवसरों/बैठकें-10 उत्पादों की खुदरा बिक्री -05	
	कुल		

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दिया गया स्कोर कार्ड व्योरा सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के
हस्ताक्षर
नामः--------------------
पदनाम------------------
दिनांक---------------------

भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/ शखिर सम्मेलन/कार्यशाला /संगोष्ठी में भागीदारों के लिए वदिशी वक्ता/वशिषज्ञ/संसाधन व्यक्तियों की अंतमि सूची

क्रम सं.	**भाग लेने वाले विदेशी वक्ता/विशेषज्ञ/संसाधन व्यक्तियों के नाम**	**विदेशी वक्ताओं/ विशेषज्ञों /संसाधन व्यक्तियों के पूर्ण पते के साथ संगठन का नाम**	**मो0 न. दूरभाष न.**	**क्षेत्र जिसमें विदेशी वक्ता /विशेषज्ञ/ संसाधन व्यक्तियों की विशेषज्ञता है।**
1				
2				
3				
4				
5				

प्राधकिृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

नामः

पदनामः

आवेदक संगठन की मुहर

दिनांकः

स्थानः

बजट अनुमान

क्र.सं.	मद	कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रस्तावित (पदाधिकारी सहित) व्यक्तियों की संख्या और लगाइ जाने वाली स्टॉल (बूथों) की संख्या	प्रति व्यक्ति/स्टॉल अनुमानित व्यय	कुल अनुमानित व्यय (रूपए में)	आईसी स्कीम के अंतर्गत मांगी गई सहायता (रूपए में)
1.	हवाई किराया				
2.	ड्यूटी भत्ता (केवल पदाधिकारी के लिए)				
3.	स्थान किराया (स्टॉल किराया) (केवल उद्यमियों के लिए)				
4.	माल भाड़ा (केवल भागीदारी के लिए)				
5	विज्ञापन और प्रचार प्रभार (केवल भागीदारी के लिए)				
6	प्रवेश/पंजीकरण शुल्क (केवल भागीदारी के लिए)				
	कुल				

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर---------------

नाम-----------------------------

पदनाम------------------------------

आवेदक संगठन की मुहर--------------------------

दिनांक................

स्थान.................

अनुबंध-VI

दावा फॉर्म

1.	आवेदक संगठन का नाम	
2.	पूरा पता, दूरभाष, फैक्स, ई-मेल	
3.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सैद्धांतकि अनुमोदन पत्र की संदर्भ संख्या और तारीख	
4.	अवधि, तारीख और स्थल सहति भाग लिए कार्यक्रम का नाम	
5.	भाग लिए कार्यक्रम के बारे में फीडबैक रपिोर्ट (लगभग 200 शब्दों में लिखें)	

दावा फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

(i) उद्योग आधार पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति
(ii) हवाई यात्रा के लिए ई-टिकट पर किराया सूचना के साथ सभी प्रकार से पूर्ण ई-टिकट की प्रति
(iii) मूल बोर्डिंग पास
(iv) स्टाल प्रभार,भाड़ा प्रभार,विज्ञापन और प्रचार प्रभार , प्रवेश/पंजीकरण शुल्क के दावे के भुगतान की रसीद के साथ साथ मूल इनवायस/बिल।

(v) पीएफएमएस में यथा पंजीकृत संगठन का यूनिक आई डी ।

(vi) नीति आयोग (गैर सरकारी संगठन के लिए) एनजीओ दर्पण पोर्टल में यथापंजीकृत संगठन का यूनिक आईडी।

(vii) संघ के पैन कार्ड की प्रति

(viii) टैन संख्या, यदि कोई हो, की प्रति ।

भागीदारों की अंतमि सूची जसिके लिए दावा कयिा गया

क्र. सं.	भागीदार पदाधकिारी एवं उद्यमियों का नाम जन्हिोने भाग लयिा	पूर्ण पता ई-मेल आई के साथ एमएसएमई इकाई का नाम	मो.फोन नं. एवं लैंडलाइन फो.नं उद्योग आधार संख्या	उद्योग आधार संख्या	श्रेणी (क्या पूर्वोत्तर/ अनुसूचति जाती/अनुसूचति जनजाती के हैं)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

(i) प्रमाणति कयिा जाता है उपर्युक्त इकाइयां पंजीकृत हैं और उद्योग आधार पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न है।

(ii) यह भी प्रमाणति कयिा जाता है कि उपर्युक्त शष्टिमंडल ने वास्तव में कार्यक्रम के लिए यात्रा की/उसमें भाग लयिा।

प्राधकिृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर---------------
नाम----------------------------
पदनाम-------------------------------
आवेदक संगठन की मुहर-------------------------------

दनिांक................
स्थान..................

मैनडेट फार्म

भुगतान प्राप्त करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक निकासी सेवा (ऋणनिकासी)/वास्तविक समय सकल समाधान (आरटीजीएस) सुविधा

क. खाताधारियों का ब्योरा:

खाताधारी का नाम	
पूर्ण संपर्क पता	
दूरभाष संख्या/फैक्स/ई-मेल	

ख. बैंक खाते का ब्योरा:

बैंक का नाम		
पूर्ण पते, दूरभाष संख्या और ई-मेल के साथ शाखा का नाम		
क्या शाखा कम्प्यूटरीकृत **है ?**		
क्या शाखा आरटीजीएस समर्थित **है** ? यदि हां तो शाखा का आईएफएससी कोड क्या **है ?**		
क्या शाखा एनईएफटी भी समर्थित है?		
बैंक खाते का प्रकार (बचत बैंक/चालू/नकदी ऋण)		
पूर्ण बैंक खाता संख्या (नवीनतम)		
बैंक का एमआईसीआर कोड		

लागू होने की तारीख:

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दिया गया विवरण सही और पूर्ण है। यदि लेन देन अपूर्ण अथवा गलत सूचना के कारण विलम्बित अथवा पूरा नहीं होता है तो मैं संस्था को जिम्मेदार नहीं मानूँगा। मैंने आमंत्रित पत्र के विकल्प को पढ़ लिया है और इस स्कीम के अंतर्गत भागीदार के रूप में प्रत्याशित जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए सहमत हूँ।

ग्राहक के हस्ताक्षर

तारीख

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण हमारे अभिलेख के अनुसार सही है।

(बैंक की मुहर)
तारीख

ग्राहक का हस्ताक्षर

1. कृपया बैंक के सत्यापन के साथ-साथ चेक की एक फोटो कापी संलग्न करें।
2. यदि आपकी बैंक शाखा वर्तमान में "आरटीजीएस समर्थित" नहीं हैं तो इसे "आरटीजीएस समर्थित" शाखा में उन्नयन किया जाना है। कृपया यथा शीघ्र विभाग को उपर्युक्त प्रोफार्मे में सूचना प्रस्तुत करें।

संघ/संगठन के लेटर हैड पर

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि एमएसएमई मंत्रालय के दिनांक ______________के स्वीकृति पत्र सं________________________ के माध्यम से यथा अनुमोदित गतिविधियों के उद्देश्य के लिए सहायता अनुदान भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य राज्य सरकार अथवा सरकारी संस्थान/एजेंसी से प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

नाम......................................

संघ/संगठन की मुहर

अनुबंध-**X**

पूर्व – रसीद

(संघ/संगठन के लैटर हैड पर प्रस्तुत किया जाए)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के दिनांक __________ के पत्र संख्या--------------- द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम (आईसी) के अंतर्गत प्रतिपूर्ति आधार पर वित्तीय सहायता के रूप में ....रूपए ....रूपए) की राशि प्राप्त की।

रसीदी टकिट
हस्ताक्षर
नाम ....
पदनाम ....
संघ/संगठन की मुहर